रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 16] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 24, 1975/माघ 4, 1896
No. 16] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 24, 1975/MAGHA 4, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

PUBLIC NOTICES

New Delhi, the 24th January 1975

No. DRAWBACK/PN-7/75.—Under rule 40 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F No. 602/2/70—DBK, published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the table published in the Public Notice No DRAWBACK/PN—1 dated the 15th October, 1971:—

For sub-serial Nos. 2402, 2407 to 2415, 2417, 2418, 2418(a), 2420 and 2422 and the entries relating thereto, the following shall be substituted:—

Sub-Sl. No	Description of goods	Rate of drawback
1	2	3
2402	Playing Cards—	
	(i) Made out of Art Board . .	Rs. 1 49 (Rupees one and paise forty nine only) per kg.
	(ii) Made out of Pulp Board . .	Re 0·80 (Paise eighty only) per kg

1	2	3
2407	Articles not elsewhere specified made of blotting, toilet, tissue (other than cigarette tissue), teleprinter, manifold bank, bond art paper, chrome paper, tubsized paper, cheque paper, stamp paper, cartidge paper and parchment where such paper is—	
	(*i*) of 40 to 45 grammes per square metre.	Re. 0·82 (Paise eighty two only) per kg.
	(*ii*) other than 40 to 45 grammes per square metre.	Rs. 1·44 (Rupees one and paise forty four only) per kg.
2408	News papers	NIL
2409	Articles not elsewhere specified made of printing and writing paper—	
	(*i*) of a substance exceeding 65 grammes per square metre.	Re. 0·80 (Paise eighty only) per Kg.
	(*ii*) of a substance not exceeding 65 grammes per square metre excluding coloured varieties other than all un-bleached, badami, cream laid and cream wove varieties thereof.	Re. 0·14 (Paise fourteen only) per Kg.
	(*iii*) of a substance not exceeding 65 grammes per square metre including coloured varieties other than these specified above.	Re. 0·80 (Paise eighty only) per Kg.
2410	Articles not elsewhere specified made of packing and wrapping paper.	Re. 0·76 (Paise seventy six only) per Kg.
2411	Articles not elsewhere specified made of pulp board, grey board, duplex board and triplex board.	Re. 0·80 (Paise eighty only) per Kg.
2412	Articles not elsewhere specified made of coated board including art board, chrome board and board for playing cards.	Rs. 1·49 (Rupees one and paise forty nine only) per Kg.
2413	Articles not elsewhere specified made of straw board and mill board.	Re. 0·32 (Paise thirty two only) per Kg.
2414	Articles not elsewhere specified made of corrugated board.	Rs. 1·04 (Rupee one and paise four only) per Kg.
2415	Articles not elsewhere specified made of paper and paper board (othe than cigarette tissue paper and paper/paper board specified against sub-serial Nos. 2407 to 2414 etc.)—	
	(*i*) if the article is made of paper.	Rs. 1·16 (Rupees one and paise sixteen only) per Kg.
	(*ii*) if the article is made of board.	Rs. 1·60 (Rupees one and paise sixty only) per Kg.
2417	Paper cones made of packing and wrapping paper, pulp board, grey board, duplex and triplex board.	Rs. 97·70 (Rupees ninety seven and paise seventy only) per quintal.
2418	Paper cones made of straw board and/or mill board.	Rs. 40·86 (Rupees forty and paise eighty six only) per quintal.
2419(a)	Where the printing paper (excluding covers) used is of a substance exceeding 65 grammes.	Rs. 1·04 (Rupees one and paise four only) per Kg.
2420	Periodicals in bound or flat folded sheets, other than news papers.	Re. 0·89 (Paise eighty nine only) per Kg.
2422	Articles not elsewhere specified made of cigarette tissue paper.	Rs. 4·20 (Rupees four and paise twenty only) per Kg.

This publi : Notice shall be deemed to have come into force on the 1st day of November, 1974.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

सार्वजनिक सूचना

सं० प्रतिअदायगी/पी० एन०-7/75.—सोमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फ० सं० 602/2/70-प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/पी० एन० 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उपक्रमांक 2402, 2407 से 2415, 2417, 2418, 2418(क), 2420 और 2422 तथा तत्सम्बन्धी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

उपक्रम सं०	माल का विवरण	प्रतिअदायगी की दर
2402	ताश के पत्ते,	
	(i) आर्ट बोर्ड से बने	1.49 रु० (केवल एक रुपया उनचास पैसे) प्रति किलोग्राम।
	(ii) लुगदी बोर्ड से बने	0.80 रु० (केवल अस्सी पैसे) प्रति किलोग्राम।
2407.	ब्लाटिंग, टायलेट, टिशू (सिगरेट टिशू के अलावा) टैलीप्रिंटर, टाइपराइटिंग मनीफोल्ड बैंक, बाण्ड, आर्ट पेपर, क्रोम पेपर, टब साइज्ड पेपर, चैक पेपर, स्टाम्प पेपर, कार्टिज पेपर और पार्चमेंट से निर्मित अन्यत्र अविनिर्दिष्ट वस्तुयें, जहां ऐसा कागज :—	
	(i) 40 से 45 ग्राम प्रति वर्ग मीटर का है।	0.82 रु० (केवल बयासी पैसे) प्रति किलोग्राम।
	(ii) 40 से 45 ग्राम प्रति वर्ग मीटर से भिन्न।	1.44 रु० (केवल एक रुपया चवालीस पैसे) प्रति किलोग्राम।
2408.	समाचार पत्र	कुछ नहीं।
2409.	मुद्रण और लिखाई के कागज से बनी अन्यत्र अविनिर्दिष्ट वस्तुएं—	
	(i) प्रति वर्ग मीटर 65 ग्राम से अधिक वाले पदार्थ का,	0.80 रु० (केवल अस्सी पैसे) प्रति किलोग्राम।

(1)	(2)	(3)
	(ii) प्रति वर्ग मीटर 35 ग्राम से अधिक वाले पदार्थ का जिसमे उसकी अविरंजित, बदामी, क्रोम लेड और क्रीम बोर सभी किस्मे शामिल नहीं है ।	0.14 रु० (केवल चौदह पैसे) प्रति किलोग्राम ।
	(iii) प्रति वर्ग मीटर 65 ग्राम से अधिक वाले पदार्थ का जिसमें उपर विनिर्दिष्ट से भिन्न रंगीत किस्में शामिल है ।	0.80 रु० (केवल अस्सी पैसे) प्रति किलोग्राम ।
2410.	पैकिंग और लपेटने के कागज से बनी अन्यत्र अविनिर्दिष्ट वस्तुयें ।	0.76 रु० (केवल छहत्तर पैसे) प्रति किलोग्राम ।
2411.	लुगदी बोर्ड, ग्रे बोर्ड, डुपलेक्स बोर्ड और ट्रिपलेक्स बोर्ड से बनी अन्यत्र अविनिर्दिष्ट वस्तुयें ।	0.80 रु० (केवल अस्सी पैसे) प्रति किलोग्राम ।
2412.	आर्ट बोर्ड, क्रोम बोर्ड और ताश के पत्तों के बोर्ड सहित कोट किये हुये बोर्ड से बनी अन्यत्र अविनिर्दिष्ट वस्तुयें ।	1.49 रु० (केवल एक रुपया उनचास पैसे) प्रति किलोग्राम ।
2413.	स्ट्रा बोर्ड और मिल बोर्ड से बनी अन्यत्र अविनिर्दिष्ट वस्तुयें ।	0.32 रु० (केवल बत्तीस पैसे) प्रति किलोग्राम ।
2414.	नालीदार बोर्ड से बनी अन्यत्र अविनिर्दिष्ट वस्तुयें ।	1.04 रु० (केवल एक रुपया चार पैसे) प्रति किलोग्राम ।
2415.	कागज और कागज बोर्ड (उपक्रम संख्या 2407 से 2414 आदि में विनिर्दिष्ट सिगरेट टिशू पेपर और पेपर/पेपर बोर्ड से भिन्न) मे बनी अन्यत्र अविनिर्दिष्ट वस्तुयें ।	
	(i) अगर वस्तु कागज की बनी है ।	1.16 रु० (केवल एक रुपया सोलह पैसे) प्रति किलोग्राम ।
	(ii) अगर वस्तु बोर्ड की बनी है ।	1.60 रु० (केवल एक रुपया साठ पैसे) प्रति किलोग्राम ।
2417.	पैकिंग और लपेटने के कागज, लुगदी बोर्ड, ग्रे बोर्ड, डुपलेक्स, और ट्रिप्लेक्स बोर्ड से बने कागजी शंकु (कोन) ।	97.70 रु० (केवल सत्तानवे रुपये सत्तर पैसे) प्रति क्विंटल ।
2418	स्ट्रा बोर्ड और / अथवा मिल बोर्ड से बने कागजी शंकु (कोन)	40.86 रु० (केवल चालीस रुपये छियासी पैसे) प्रति क्विंटल ।

(1)	(2)	(3)
2419.	(क) जहां प्रयुक्त किया गया मुद्रण का कागज (लिफाफों को छोड़कर) 65 ग्राम से अधिक वाले पदार्थ का है।	1.04 रु० (केवल एक रुपया चार पैसे) प्रति किलोग्राम।
2420.	समाचार पत्रों से भिन्न, सजिल्द या सपाट मुड़े हुये कागजों के रूप में पत्र पत्रिकाएं।	0.89 रु० (केवल नवासी पैसे) प्रति किलोग्राम।
2422.	सिगरेट टिशू पेपर से बनी अन्यत्र अविनिर्दिष्ट वस्तुयें।	4.20 रु० (केवल चार रुपये बीस पैसे) प्रति किलोग्राम।

यह सार्वजनिक सूचना नवम्बर, 1964 के प्रथम दिन से लागू हुई समझी जाएगी।

No. DRAWBACK/PN-8/75.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK, published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971:—

For sub-serial No. 1419 and the entries relating thereto the following shall be substituted:—

Sub-Sl. No.	Description of goods	Rate of drawback
1419	Zinc oxide.	Rs. 2925·00 (Rupees two thousand nine hundred and twenty-five only) per tonne.

This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 1st day of November, 1974.

C. BHUJANGASWAMY,
Joint Director (Drawback).

सं० प्रतिअदायगी/पी० एन०-8/75—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70-प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/पी० एन० 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उपक्रमांक 1419 और तत्सम्बन्धी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा :—

उपक्रमांक	माल का विवरण	प्रतिअदायगी की दर
1419	जिंक आक्साइड	2925.00 रु० (केवल दो हजार, नौ सौ पच्चीस रुपये) प्रति टन।

यह सार्वजनिक सूचना 1 नवम्बर, 1974 से लागू हुई समझी जायगी।

सी० भुजंगस्वामी,
संयुक्त निदेशक (प्रतिअदायगी)।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, NEW DELHI, 1975